GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

S. No. PC-VI/ 39

R.B.E. No.160/2008

No.PC-VI/2008/I/3/1

New Delhi. dt. 29.10.2008

The GMs/CAO(R),
All Indian Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub : Recommendations of the Sixth Central Pay Commission – Instructions regarding placement and fixation of pay of Group `D' Railway employees (other than RPF/RPSF) in Grade Pay Rs.1800 in Pay Band 1 (Rs. 5200-20200).

Attention is invited to Note 1 below Rule 7 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, notified vide Notification No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 dt.4.9.2008, GSR No.643(E), according to which pay of the existing Group `D' staff is to be fixed initially in the –1S pay band with appropriate grade pay. Thereafter further placement was to be made in Grade pay Rs.1800 in pay Band PB-1 (Rs.5200-20200) subject to conditions. Accordingly, Ministry of Railways with the approval of the President have decided that the existing Group 'D' posts in Grade Pay Rs.1300, Rs.1400, Rs.1600 and Rs.1650 in Pay Band -1S (Rs.4440-7440) (Corresponding to pre-revised scales Rs.2550-3200, Rs.2610-3540, Rs.2610-4000 and Rs.2650-4000) are placed in Grade Pay Rs. 1800 in Pay Band PB-1 (Rs.5200-20200) (corresponding to pre-revised Rs.2750-4400) w.e.f. 1.1.2006. These posts (as also posts where already existing in pre-revised Rs.2750-4400 in the cadre/category) stand merged along with functions. The placement of existing Group 'D' staff in PB-1 will be as stipulated in these instructions.

2. Reference is also invited to Board's letter No E(MPP)2008/3/17, dt.24.09.2008 regarding retraining of those existing regular Group `D' staff who do not possess the revised minimum qualifications of Matric or ITI. Action in this regard would also have been taken by the Railways.

3. Consequent to the above, further action for placement of the existing **regular Group `D' staff** (ref. rule 2 of RSRP Rules, 2008), as on the date of notification of Railway Services Revised Pay rules 2008, circulated vide GSR No.643E dt.4.9.08, in PB-1 Rs.5200-20200 with Grade Pay Rs.1800 will be regulated as follows :-

(i) Such of those **regular** Group `D` staff as on rolls on 1.1.06 who already possess the revised minimum qualification mentioned above as well as those who have been retrained may be placed in Grade Pay Rs.1800 in PB-1 as per existing seniority and their pay refixed w.e.f. 1.1.2006 in PB-1 with Grade Pay of Rs.1800 in accordance with the Fixation Tables provided for the purpose (Grade Pay 1800, PB-1) as circulated vide Annexure E of Board's letter

No.PC VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.09.2008. Arrears as may be due, may be drawn accordingly.

(ii) Inter-se-seniority of all the employees in erstwhile Group `D' will be fully maintained with Group D employee in a higher pre-revised pay scale being placed higher vis-à-vis an employee in a lower pay scale. Within the same pre-revised pay scale, seniority which existed prior to revision would continue.

(iii) The existing Group `D' staff placed in PB-1 Grade Pay Rs.1800 would continue to perform the existing functions, in addition to functions that may be prescribed subsequently i.e. after placement in PB-1.

(iv) Revised designations will follow.

(v) Similarly, Group `D' staff already recruited on **regular basis** after 1.1.2006 will also be allowed the benefit of corresponding revised pay structure in -1S / PB-1 Pay Band (effective from the date of their recruitment) as applicable to those in service as on 1.1.2006 subject to the provision of retraining, wherever applicable. Fixation / re-fixation of pay in such cases will, however, be in accordance with Rule 8 and other relevant provisions of RS(RP)Rules, 2008 as applicable to post 1.1.06 recruits. Arrears as may be due, may be drawn accordingly.

(vi) The instructions regarding minimum educational qualifications for fresh recruitment to Railway services in PB-1 Grade Pay Rs.1800 and revision of AVCs etc. would be issued separately by Establishment Directorate.

4. Instructions regarding placement of Group 'D' employees of RPF/RPSF in PB-1 will be issued separately.

5. This issues in consultation with the Establishment Directorate and with the concurrence of Finance Directorate of this Ministry.

(U. K. Tiwari)
Dy. Director, Pay Commission
Railway Board.

No.PC-VI/2008/I/3/1 **New Delhi, dated 29.10.2008**

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी–6/39

सं. पी सी–6/2008/आई/3/1

आरबीई सं. 160/2008

नई दिल्ली, दि. 29.10.2008

महाप्रबन्धक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : छठे केन्द्रिय वेतन आयोग की सिफारिशें –समूह 'घ' रेल कर्मचारियों (रे.सु. बल/रे.सु.वि.बल को छोड़कर) को पे बैण्ड–1 (रू. 5200–20200) ग्रेड वेतन रू. 1800 में रखे जाने तथा वेतन निर्धारण करने के संबंध में निर्देश

रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 जिन्हें अधिसूचना सं. पी सी–6/2008/आई/आरएसआरपी/1 दि. 04.09.2008 सा.का.नि. सं.643 (अ) के द्वारा अधिसूचित किया गया है के नियम 7 के नीचे नोट 1 की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार मौजूदा समूह 'घ' कर्मचारियों का वेतन आरंभ में यथोचित ग्रेड वेतन के साथ –1 एस वेतन बैंड में निर्धारित किया जाना है। तत्पश्चात, आगे वेतन बैंड पीबी–1 (रू. 5200–20200) ग्रेड वेतन रू.1800 में शर्तो के अधीन प्लेसमैंट की जानी है। तदनुसार, रेल मंत्रालय ने राष्ट्रपतिजी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया है कि रू. 1300, रू.1400, रू. 1600, व रू. 1650 के ग्रेड वेतन में वेतन बैंड –1एस (रू. 4440–7440)(पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान रू. 2550–3200, रू. 2610–3540, रू. 2610–4000 तथा रू. 2650–4000 के समकक्ष) में मौजूदा समूह 'घ' के पदों को 1.1.2006 से प्रभाव सहित वेतन बैण्ड पी बी–1 (रू. 5200–20200) में ग्रेड वेतन रू.1800 (पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान रू. 2750–4400, के सापेक्ष) में रख दिया जाये । ये पद (उन पदों सहित जो संवर्ग/कोटि में पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान रू. 2750–4400 में पहले से ही मौजूद हों) कार्यो सहित आमेलित किये जाते हैं। मौजूदा समूह 'घ' कर्मचारियों का पीबी–1 में प्लेसमैंट इन निदेर्शो में दिये अनुसार होगा।

2. बोर्ड के दि. 24.9.2008 के पत्रांक ई(एमपीपी)2008/3/17 की तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जोकि उन मौजूदा समूह 'घ' कर्मचारियों जिनके पास मैट्रिक अथवा आई टी आई की संशोधित न्यूनतम योग्यता नहीं है, के पुनःप्रशिक्षण के संबंध में है। रेलों ने इस संबंध में कार्रवाई कर ली होगी।

3. उपरोक्त के परिणाम स्वरुप, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 जिन्हें दि. 4.9.2008 की सा.का.नि. सं.643 (अ) द्वारा अधिसूचित किया गया है, के अधिसूचित होने की दिनांक को मौजूद नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों (संदर्भ रेल सेवा (सं.वे.) नियम, 2008 का नियम 2) को पीबी–1 (रु.5200–20200) में ग्रेड वेतन रु.1800 में स्थापना के संबंध में आगे की कार्रवाई निम्नानुसार की जायेगी :–

(i) ऐसे नियमित समूह 'घ' के कर्मचारियों, जो कि 1.1.06 को रौल्स पर थे तथा जिनके पास पहले से ही उपर वर्णित संशोधित न्यूनतम योग्यता है तथा वे जिन्हें पुनः प्रशिक्षित किया जा चुका है को अपनी वर्तमान वरीयता सहित पीबी–1 ग्रेड वेतन रु.1800 में रखा जा सकता है तथा उनका वेतन उपरोक्त उददेश्य के लिए दी गई वेतन निर्धारण तालिकाओं (ग्रेड वेतन 1800, पीबी–1) जिन्हें बोर्ड के पत्रांक पीसी 4/2008/आई/आरएसआरपी/1 दि. 11.09.08 के

संलग्नक 'इ' के द्वारा परिपत्रित किया गया है, के अनुसार 1.1.2006 से पीबी –1 ग्रेड वेतन रु. 1800 मे पुनः निर्धारित किया जा सकता है। बकाया, जैसे कि देय हों, भी तदनुसार आहरित किये जा सकते हैं।

(ii) पूर्ववर्ती समूह 'घ' के सभी कर्मचारियों की इन्टर–से–सीनियरटी पूरी तरह बरकरार रखी जायेगी तथा उच्चतर पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान के कर्मचारी को एक निम्नतर वेतनमान के कर्मचारी के सापेक्ष उच्चतर स्थिति में रखा जायेगा। एक ही पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान में वरीयता, जैसी भी पुनरीक्षण से पहले थी, यथावत रहेगी।

(iii) पीबी–1 ग्रेड वेतन रु.1800 में रखे गये समूह 'घ' कर्मचारी अपने वर्तमान कार्य करते रहेंगे, जो कि उन कार्यों के अतिरिक्त होंगे जिन्हें बाद में, अर्थात पीबी–1 में रखे जाने के बाद, निर्धारित किया जाये।

(iv) संशोधित पदनाम बाद में जारी किये जायेगें।

(v) इसी प्रकार, 1.1.2006 के बाद पहले ही नियमित रुप से भर्ती किये जा चुके समूह 'घ' कर्मचारियों को भी –1एस/पीबी–1 वेतन बैन्ड में संगत संशोधित वेतन ढॉचे (उनकी नियुक्ति की तिथि से प्रभावी) का लाभ, जहॉ कहीं लागू हो, पुनः प्रशिक्षण के प्रावधान के अनुसार, प्रदान किया जायेगा, जैसा कि उनको लागू है जो 1.1.2006 को सेवा में थे । तथापि उन मामलों में वेतन निर्धारण/पुनः निर्धारण, रे.से. (सं.वे.) नियम 2008 के नियम 8 तथा अन्य संगत प्रावधानों जो कि 1.1.2006 के बाद के रिक्रूट्स पर लागू हों, के अनुसार होगा । बकाया जो भी देय हो को तदनुसार आहरित किया जायेगा।

(vi) पीबी–1 ग्रेड वेतन रु.1800 में रेल सेवा मे नयी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा एवीसी इत्यादि में संशोधन आदि के संबंध में निर्देश अलग से स्थापना निदेशालय द्वारा जारी किये जायेगें।

4 रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह 'घ' कर्मचारियों की पीबी–1 में स्थापना के निर्देश अलग से जारी किये जायेगें।

5. इन्हें इस मंत्रालय के स्थापना निदेशालय के परामर्श तथा वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(यू.के. तिवारी)
उप निदेशक/वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दि. 29.10.2008

सं. पी सी–6/2008/आई/3/1

प्रतिलिपि ए डी ए आई (रेलें), नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियां)

कृते वित्त आयुक्त / रेलें